न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

बईजलास –पीयुष समारिया, आई.ए.एस.,

भरण पोषण अपील संख्या–60/2022
जी.एम.एस. पोर्टल नम्बर– 2022/79

अपीलांट	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
रणवीर सिंह पुत्र स्व. श्री हनुमान सिंह जी उम्र 65 वर्ष, जातिराजपुत, निवासी– ग्राम जावला तहसील परबतसर, जिला नागौर।		श्रीमती कृष्णा कुमार पत्नी स्व. श्री हनुमान सिंह जी उम्र 86 वर्ष,जाति राजपुत, निवासी- ग्राम जावला तहसील परबतसर, जिला नागौर

आदेश दिनांक 04-05-2022

1– यह अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत, उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर द्वारा मुकदमा नम्बर–01/2020 श्रीमति कृष्णा कुमारी बनाम रणवीर सिंह में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2021 से व्यथित होकर दिनांक 28.02.2022 को पेश की है। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से आम मुख्तियार श्री महेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री ठाकुर हनुमानसिंह जी जावला, जाति राजपूत निवासी ग्राम जावला वाया डेगाना जिला नागौर ने दिनांक 27.04.2022 को आवेदन बाबत प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत किया, जिसके संबंध में अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की है। श्री महेन्द्रसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति आवेदन पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

2–रेस्पोडेन्ट की ओर से आम मुख्तियार श्री महेन्द्रसिंह द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति आवेदन में किये गये कथनों को हूबहू दौहराते हुए बहस में कथन किया कि अपील प्रथम प्रक्रम पर ही कानूनी रूप से पोषनीय न होने के कारण निरस्तनीय है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में याचि/शिकायतकर्ता के ही अधिकरण के आदेश से यदि वह व्यथित हो तो उसे अपील करने का अधिकार होता है अन्य किसी व्यक्ति को अधिकरण के आदेश को अपील के जरिये चुनौति देने का कोई अधिकार हांसिल नहीं होता, इस संबंध में 2007 के अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान बहुत स्पष्ट है। इसी क्रम में मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला एस धनलक्ष्मी बनाम जिला मजिस्ट्रेट मदुरई 17 मार्च 2021 जिसकी प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार धारा16 अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय मदुरई द्वारा पारित आदेश NKNOC5/22437/2020 Dated 12/2/2021 को निरस्त करते हुए Tribunal के फैसले कोही बरकरार रखा व Observe किया। The appeal provision is very clear that it cannot be invoked by son or daughter even if they are aggreived by an order of the original authority, namely, the Revenue Divisional Officer इस प्रकार प्रकरण को मात्र इस प्रारम्भिक आपत्ति के व मद्रास उच्चन्यायालय के एस. धनलक्ष्मी बनाम जिला मजिस्ट्रेट मदुरई दिनांक 17–03–2021 के फैसले के आधार पर ही निरस्त किया जाना आवश्यक होने का कथन करते हुए इसी स्टेज पर अपीलान्ट की अपील पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज करने का निवेदन किया है।

3–अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपील दायर कर माननीय उपखण्ड अधिकारी द्वारा वाद सं0 [illegible] में दिनांक 31.12.2021 को जो निर्णय दिया गया है वह त्रुटिपूर्ण एवं अपास्त योग्य होने के कारण प्रति[illegible] द्वारा चैलेंज किया गया है। इस हेतू अपीलार्थी द्वारा अपील की पृष्ठ भूमी एवं अपील के 17 आधार अपील में प्रस्तुत किये है जिन पर विचार करने हेतू अनुरोध है। प्रतिवादों में अपना लिखित बहस प्रस्तुत की है जिसमें प्रतिवादी [illegible] के समय प्रस्तुत तथ्य को बदल दिया है एवं उनमें संशोधन कर दिया [illegible] इन तथ्यों में परिवर्तन करने से अपीलार्थी की अपील को ही बल मिलता है। प्रतिवादी की प्रारंभिक आपत्ति के सन्दर्भ में अपीलार्थी माननीय दिल्ली

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2022.06.08 16:31:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

उच्च न्यायालयके निर्णय दिनांक 05.03.2021 श्री राखी शर्मा बनाम स्टेट व अन्य को श्रीमान के संज्ञान में लाना चाहता है जिसमें जस्टिस माननीया प्रतिभा एन सिंह ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में बडी संख्या में रिट पेटिशन लंम्बित पडे है जिनमें इस एक्ट के अन्तर्गत पारित आदेशों को चेलेंज किया गया है। यह भी कहा है कि लगता है कि कौन आदेश पर अपील की जा सकती है इस पर (कनफ्यूजन) है। इस हेतू माननीय उच्च न्यायालय ने प्रोसीजर एवं मेन्टेनेन्स के संदर्भ में सेक्शन 7 रूल 3(2) एवं सेक्शन 15 में अपीलेट ट्रिब्यूनल व रूल 16 अपील के प्रोसिजर पर रोशनी डालते हुए तीन जजमेन्ट का संदर्भ दिया है।(1)नवीन कुमार/जी.एन.सी.टी.डी. एवं अन्य WP(C) 1337/2020 दिनांक 05.02.2020 (2)श्री अमित कुमार/श्रीमति किरण शर्मा एवं अन्य WP(C) 106/202 दिनांक 06.01.2021 (3)सुमीर प्रलिवर/जी.एन.सो.टी.डी.एवं अन्य WP(C) 2857/2021 दिनांक 03.03.2021 व इस के संदर्भ में स्पष्ट किया है कि "any affected person can perfer the appeal and not just a senior citijen or parent. साथ ही पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के

परमाजित कुमार सरोया बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में OBSERVATION को रेखाकिंत किया है। "An appeal is envisiged "against the order of the tribunal" This is how section 15 reads. It does not say an appeal only by a senior citizen or a parent. A section 16 says it is that eventuality proviso deals with. The proviso is consistent with what has been set out in section 15 of the said Act. The court also appointed amicus curiae to have this passionate view of the matter. Their reserch in aspect of the matter, the parliamentry debates at the time of enactment of the said act reflects that there has been no debatequa section 16(1) nor has any intent being reflected to exclude the right of appeal to person other then senior citizen or parent, unlike the debate of section 17 of the said act where the right of legel representative has been excluded. The court further said the serious consecquences of quashing such provision which deprive the right of one party to the appeal remedy while confring it on the other especially in the context of other proviosion of same section of the Act. The only way to avoid it is to press in to service both the principle of purposive interpretation and casus omissus and further said the first provisoof section 16(1) the only interpretation can be that The right of appeal is conferred on both side. It is the case of accidental omission and not of conceous exclusion. The court further reffered N A kamandasan's case (supra) para 55. There is no negative provision in the act, denying appeal to the other parties. On the contrary an appeal from both side is envisased. Only exception to this course of action is initial words of sub section(1) of section 16. In case of Board of Muslim Waqufs Rajasthan case (supra) even while quashning supply of cassius omissue stressed in para 29 that the construction which tends to make any part of the statute meaningless or ineffective must always be avoided and the construction which advances by remedy intended by the statute should be accepted. And the court finally said We are thus of the view that section 16(1) of the said act is valid, but must be read to provide the right to appeal to any of the affected party. पंजाब एवं हरियाणा हाईकॉर्ट, बलबीर कॉर/ प्रीसाईडिंग ऑफिसर कम एस.डी.एम. व अन्य 29 जून 2015 cwp 15477 of 2014 Annexure-2. पंजाब एवं हरियाणा हाईकॉर्ट, चडीगढ़ सुदर्शन कुमार / स्टेट ऑफ हरियाणा 26 जुलाई 2021 cwp 13505 Annexure-3. कर्नाटका हाई कॉर्ट अपील द्वारा एम. सुनीथासिंगल [illegible] प्रसाद Karnataka High court Law insider date 27.08.2021Annexure-4.

3(1)—अपीलार्थी स्वयं एक वरि. नागरिक [illegible] की धारा [illegible] अधिकरण के किसी आदेश द्वारा व्यथित, यथास्थित कोई वरि, नागरिक या कोई माता-पिता आदेश की तारीख से 60 दिवस के भीतर अपील अधिकरण को कर सकेगा। इससे स्पष्ट है कि कोई वरि. ना[illegible] अधिकरण के किसी आदेश द्वारा व्यथित हो अपील कर सकता है। वरिष्ठ नागरिक या माता पिता अर्थात दोनो में से काई भी। अपीलार्थी ने अप्रार्थी माता से 15000, रूपये के प्रतिफल के विरूद्ध उक्त जमीन काश्त करने हेतु प्राप्त की थी एवं अप्रार्थी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 15:31:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

सहमति से उक्त खेत पर 1000000 रूपये से अधिक का विनियोजन कर दिया था, परन्तु माननीय उपखंड अधिकारी के न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान नहीं लिया। धारा 6 (6) की पालना नहीं की धारा 6 (8)1 एवं 6(8)2 जांच एवं साक्ष्य लेने की शक्ति होते हुए भी साक्ष्य नहीं लिये गये। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी जो स्वयं वरि. नागरिक है अपील अधिकरण में अपील की है एवं धारा 16 (1) में अपील करने की योग्यता रखता है एवं अप्रार्थिया की प्रारंभिक आपत्ति 16 (1) में अपोषनिय है एवं अमान्य है। वरि. नागरिक को प्रदत अधिकार को चौलेंज नहीं किया जा सकता।राजस्थान हाईकोट ने भी धारा 16 अन्तर्गत की गयी अपील को धारा 16 अन्तगर्त डिसमिस नहीं की है, का कथन करते हुए रेस्पोडेन्ट की प्रारम्भिक आपत्ति खारिज करने निवेदन किया है।

4–उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर (भरण पोषण अधिकरण) के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी शुदा जमीन खसरा नम्बर 307, 308, 309, 310 कुल रकबा 4.7800 हैक्टर से अपीलान्ट का कब्जा हटाया जाकर रेस्पोडेन्ट को कब्जा दिलाने का निवेदन किया ताकि अपीलान्ट प्रार्थीया अपना भरण–पोषण व ईलाज खर्च वहन कर सके तथा रेस्पोडेन्ट ने अपनी बन्दूक भी उसे दिलाई जाने आदि का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर द्वारा कार्यवाही कर अपने निर्णय जैर अपील दिनांक 30.12.2021 से रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के बड़े पुत्र महेन्द्रसिंह दोनों का पुत्र रेस्पोडेन्ट को 10–10 हजार रूपये प्रति माह उसके भरण–पोषण हेतु उपलब्ध करवाने तथा रेस्पोडेन्ट की खातेदारी सुदा भूमि ग्राम जावला के उपर्युक्त खसरान की कुल 4.78 हैक्टयर भूमि में रेस्पोडेन्ट के उपयोग उपभोग में कोई भी अन्य पक्ष किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने एवं रेस्पोडेन्ट के लाईसेन्स शुदा बंदूक 22/410 बोर गेम गेटर गन यू.एस.ए. को 15 दिवस में संबंधित थाने में जमा करवायी जाकर रसीद रेस्पोडेन्ट को एवं उनके न्यायालय को प्रस्तुत करने का निवेदन किया है। उक्त निर्णय जैर अपील के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। उक्त अधिनियम 2007 की धारा 16 के प्रावधान इस प्रकार है– ***16. अपीलें***–

(1) अधिकरण के किसी आदेश द्वारा व्यथित, यथास्थिति, कोई वरिष्ठ नागरिक या कोई माता–पिता आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा:

परन्तु अपील पर, वह बालक या रिश्तेदार, जिससे, ऐसे भरण–पोषण के आदेश के निबन्धनों के अनुसार किसी रकम का संदाय किये जाने की अपेक्षा की गयी है, ऐसे माता–पिता को इस प्रकार आदेशित रकम का संदाय अपील अधिकरण द्वारा निर्देशित रीति से करता रहेगा:

परन्तु यह और कि अपील अधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था, साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा।

(2) अपील अधिकरण, अपील की प्राप्ति पर, प्रत्यर्थी पर सूचना की तामील करवायेगा।

(3) अपील अधिकरण उस अधिकरण से, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है, कार्यवाहियों का अभिलेख मंगा सकेगा।

(4) अपील अधिकरण, अपील और मंगाये गये अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात या तो अपील को मंजूर कर सकेगा या खारिज कर सकेगा।

(5) अपील अधिकरण, अधिकरण के आदेश के विरुद्ध फाइल की गयी अपील का न्याय निर्णयन और विनिश्चय करेगा तथा अपील अधिकरण का आदेश अंतिम होगा, परन्तु कोई अपील तब तक खारिज नहीं की जायेगी, जब तक कि दोनों पक्षकारों को वैयक्तिक रूप से या सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 16:21:33 IST
Reason: SelfAttested

नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

(6) अपील अधिकरण अपना आदेश अपील की प्राप्ति के एक मास के भीतर लिखित में सुनाने का प्रयास करेगा।

(7) उपधारा (5) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश की एक–एक प्रति दोनों पक्षकारोंको निःशुल्क भेजी जायेगी।

4(1)–इस प्रकार उक्त अधिनियम 2007 की धारा 16 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक या कोई माता–पिता द्वारा ही उपखण्ड मजिस्ट्रेट (अधिकरण) द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट (अपील अधिकरण) के समक्ष अपील करने का प्रावधान है। अधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अन्य पक्ष को अपील अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान अधिनियम 2007 की धारा 16 में नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विधि अनुसार पोषणीय नहीं होने से, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील पर सुनवाई कर निर्णय पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

5–अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर को उनका मूल रिकार्ड एवं आदेश की प्रति भिजवाई जावे। आदेश की प्रति पक्षकारान को सूचनार्थ भिजवाई जावे।

6–आदेश सुनाया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

(पीयुष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट,नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 15:31:32 IST
Reason: SelfAttested